

जन्मदर्ता कएला ?


कानूनी पहिचान प्राप्त
करएके लेल ।



नाता सम्बन्ध
कायम करएके
लेल ।



उमेर एकिन
करएके लेल ।



बाल्यन्यायके सुविधा
प्राप्त करएके
लेल ।

विद्यालय भर्नाके लेल



बाल पोषणभत्ता/बाल
अनुदान प्राप्त करएके
लेल ।



बेटी वीमा प्राप्त
करएके लेल ।

बच्चा जन्मेलाके ३५ दिन मितर निःशुल्क जन्मदर्ता बनै छै ।



कर्जन्ता नगरपालिका, सिरहा



बाल पोषणभत्ता सम्बन्धी बुझेबाला किछु बातसब :

■ बाल पोषणभत्ता कि छै ?



नेपाल सरकार दलित आ मानव गरिबी सुचाह्कमे निचा रहल जिल्लासबमे ५ वर्षसँ छोट उमेर के बालबालिकासभक पोषणके अवस्थामे सुधार लाबएके लेल २०७५/०६६ सँ बाल पोषणभत्ता कार्यक्रम शुरु कएने छै । ई कार्यक्रम प्रदेश नं. २ के ७ जिल्लासबमे सञ्चालनमे रहल छै ।

■ कोन कोन जिल्लामे बालबालिकासभक बाल पोषणभत्ता दै छै ?

नेपाल सरकार प्रदेश नं. २ के सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोतरी, सर्लाही, रौतहट आ बारा जिल्लासबमे ५ वर्ष उमेर पूरा नइ भेल एक मायके बेटा आ बेटी बेसीसु बेसी दुटा बालबालिकासभक लेल मासिक रूपमे ४ सय रुपैयाँके दरसँ बाल पोषणभत्ता आ बाल अनुदान दैत आविरहल छै ।



■ बाल पोषणभत्ता केना पाबए सकैद्दै ?

सबसँ पहिले अपना बेटा-बेटीसभके जन्मदर्ता होनाइ अनिवार्य छै । जन्मदर्ता बनएलाके बाद सम्बन्धित वडा कार्यालयमे जाकए बाल पोषणभत्ता पाबएके लेल निवेदन देब परै छै

■ सरकार बाल पोषणभत्ता कएला दै छै ?



ई बाल पोषणभत्ता बालबालिकासभक लेल थप पोषणयुक्त खाना, शारीरिक आ मानसिक वृद्धि आ विकासके लेल आवश्यक रहल समानसब पूरा करएके लेल दै छै ।

